मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

203/9, नवीउल्लाह रोड, लखनऊ

ई मेल–lkomdm@gmail.com Website : www.upmdm.org

पत्रांक : म0भो0प्रा0/C- 805 **/2024–25** **दिनांक :** 29-07-2024

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः पी0एम0 पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लैक्सी फण्ड से प्रदेश के समस्त जनपदों के छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन के अन्तर्गत 'अतिरिक्त खाद्य सामग्री' वितरण के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल आवर्ती बजट के 05 प्रतिशत फण्ड का उपयोग फ्लैक्सी फण्ड के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत 'किचेन गार्डेन' व 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' के अन्तर्गत व्यय का प्राविधान है।

उक्त के अन्तर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह नवम्बर, 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस रू0 05/– प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से ''सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन'' उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत छात्रों को सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण निम्नानुसार किया जायेगाः–

1. **वितरण अवधि व दिवस** –
   - योजना माह नवम्बर, 2024 से माह मार्च, 2025 तक की अवधि में संचालित की जायेगी।
   - सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण प्रत्येक बृहस्पतिवार (कुल 19 विद्यालय दिवस हेतु) को किया जायेगा। बृहस्पतिवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में वितरण किया जायेगा।

2. **अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा**
   - सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की/ गुड़–तिल–मूंगफली की गजक/चौलाई (रामदाना) का लड्डू/बाजरे का लड्डू इत्यादि (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में) अथवा भुना चना (प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में) वितरित किया जायेगा।
   - प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अन्तर्गत कई विकल्प मात्रा सहित अंकित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री/दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है।

(

- सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन का वितरण विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व किया जायेगा।

3. **क्रय प्रक्रिया**
    - निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजनान्तर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा– दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भाँति ही स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।
    - स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय/वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा, जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा/मानक का पालन किया जाना होगा।
4. **अभिलेखीकरण**
    - विद्यालय स्तर पर मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भाँति ही 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण (तिथि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरित सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि) रखा जायेगा।
    - विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका भी व्यवस्थित की जानी होगी।
5. **वित्तीय स्वीकृति**
    - योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हांकित माह के सापेक्ष 02 किश्तों में वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जायेगी।
    - जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित 'मध्यान्ह भोजन निधि' खातों में 02–02 माह के अन्तराल पर अग्रिम धनराशि प्रेषित की जायेगी।
6. **उपभोग**
    - प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का उपभोग प्रमाण–पत्र (संलग्न–प्रारूप 01) तैयार कर खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
    - जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र (संलग्न–प्रारूप 02) मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. **अनुश्रवण/मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया**
    - विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित "सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन" के वितरण की सूचना ब्लाक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध करायी जायेगी, जो जनपद द्वारा प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार प्रेषित की जायेगी।
    - ब्लाक स्तरीय/जनपद स्तरीय/राज्य स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से भी योजना का समय–समय पर अनुश्रवण किया जायेगा।

- प्रदेश स्तर से सोशल आडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जायेगा।
- दैनिक आधार पर आई0वी0आर0एस0 के माध्यम से पृथक से कॉल प्रेषित की जा सकती है, जिसके संबंध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(कंचन वर्मा)
निदेशक

<u>पृष्ठांकन व दिनांकः उक्तवत्।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उ0प्र0।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि छात्रों को "सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन" उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कंचन वर्मा)
निदेशक

- प्रदेश स्तर से सोशल आडिट के माध्यम से योजना का मूल्यांकन भी कराया जायेगा।
- दैनिक आधार पर आई0वी0आर0एस0 के माध्यम से पृथक से कॉल प्रेषित की जा सकती है, जिसके संबंध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(कंचन वर्मा)
निदेशक

<u>**पृष्ठांकन व दिनांकः उक्तवत्।**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उ0प्र0।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि छात्रों को ''सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन'' उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कंचन वर्मा)
निदेशक

संलग्नक– प्राधिकरण पत्रांक: म0भो0प्रा0 / C 805 / 2024–25 दि0: 29 जुलाई, 2024

प्रारूप – 01

पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वितरित 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' संबंधी विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण–पत्र

माह – ....

विद्यालय का नाम व यू–डायस कोड..

(धनराशि रू0 में)

विद्यालय को आवंटित धनराशि	वितरण तिथि	नामांकित छात्र	लाभार्थी छात्र संख्या	वितरित की गयी सामग्री का विवरण	उपभोग की गयी कुल धनराशि (प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित दर रू0 5/– के आधार पर)	मासान्त पर विद्यालय स्तर पर अवशेष (सामग्री मूल्य व धनराशि)
01	02	03	04	05	06	07

प्रधानाध्यापक
प्रा0वि0 ....
विकासखण्ड ....
जनपद ....

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड ....
जनपद ....

प्रारूप – 02

पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वितरित 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन' संबंधी जनपद स्तरीय उपभोग प्रमाण–पत्र

जनपद ....

(धनराशि रू0 लाख में)

माह	जनपद को आवंटित धनराशि	वितरण अवधि	नामांकित छात्र संख्या	लाभार्थी छात्र संख्या	उपभोग की गयी कुल धनराशि (प्रति छात्र प्रति दिवस निर्धारित दर रू0 5/– के आधार पर)	जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि
01	02	03	04	05	06	07
कुल योग						

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद ....

वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)
जनपद ....

जिलाधिकारी
जनपद ....